यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

स्व प्रार्थनापत्र संख्या : 210/2021

MS NO. : 2021/391

-: प्रार्थीगणः- बनाम -: अप्रार्थी :-

जरीना पत्नी अब्बास अहमद
मोहम्मद अयुब पुत्र अब्बास अहमद
फकीर मोहम्मद पुत्र अब्बास अहमद
जाति कुरैशी मुसलमान निवासी
जैतारण तहसील- जैतारण, जिला-
पाली, राज0।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली
2. अमीर पुत्र शकूर
3. कमरुदीन पुत्र शकूर जाति कुरैशी मुसलमान निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण।

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 15/12/2021

उपस्थितः- 1. श्री शाकीर हुसैन, श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 31/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय अब्बास अहमद पुत्र शकूर जाति कुरैशी मुसलमान निवासी जैतारण जिला पाली के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण की सीमा में खसरा संख्या 207 रकबा 2.8814 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आयी हुई है। नकल चालू जमाबंदी साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम अब्बास अहमद पुत्र शकूरजी है जो प्रार्थीगण के पिता व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रार्थीगण संख्या 1 के बैंक अकाउंट, प्रार्थीगण संख्या 2 के राशन कार्ड में भी प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम अब्बास अहमद पुत्र शकूरजी दर्ज है इनकी फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। चौसाला जमाबंदी बनाते समय प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम अब्बास अहमद पुत्र शकूरजी दर्ज नही कर रेवेन्यू एर्जेसी द्वारा सहवन व मानवीय त्रुटीवश प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम हबास पुत्र शकूर दर्ज कर दिया जो एक मानवीय भूल एवं सद्भाविक त्रुटी है। जबकि प्रार्थीगण के पति व पिता का सही व दस्तावेजी नाम अब्बास अहमद पुत्र शकूरजी है। इसलिए प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हबास पुत्र शकूर के स्थान पर अब्बास अहमद पुत्र शकूर जी किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड में मानवीय भूल व सद्भाविक त्रुटिवश प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम हबास पुत्र शकूर इन्द्राज किया गया है जो न्यायहित में दुरस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पति व पिता का गलत नाम हबास पुत्र शकूर रह जाने से कठिनाई होगी व प्रार्थीगण उक्त नाम से फौतेदगी नामान्तरण दर्ज नही करवा सकेंगे एवं प्रार्थीगण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पायेंगे एवं कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

गी ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही मानवीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गए गिण के पति व पिता का नाम गलत नाम हबास पुत्र शकूर को दुरूस्त कर गिण के पति व पिता का सही एवं दस्तावेजी नाम अब्बास अहमद पुत्र शकूर जी करने के आदेश दिलावे। दिनांक 11.10.2021 को प्रार्थीगण अपने पति व पिता नाम की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरण अपने नाम से दर्ज वाने बाबत् अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण के कार्यालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत या तो प्रार्थीगण को प्रथम बार राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति लेने पर प्रार्थीगण को नकारी मे आया कि मानवीय भूल व सद्भाविक त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में उनके पति पिता का नाम हबास पुत्र शकूर दर्ज कर दिया जो ऐसी रेकर्ड की दुरूस्ती लिपिकीय टे होने के कारण कानूनन किसी भी समय ध्यान में आने पर धारा 136 आर एल क्ट के तहत श्रीमान को रेकर्ड दुरूस्ती का अधिकार है। प्रार्थीगण के पति व पिता के ाम को दुरूस्ती करने हेतू तहसीलदार जैतारण से दिनांक 11.10.2021 को निवेदन क्या परन्तु वह इंकार हो गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे सलिए यह कार्यवाही श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते बाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को बार बार आवाजे दिलाई ाई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की ाती है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश कर कथन किया के ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 207 रकबा 2.8814 हैक्टर भूमि वादीगणो के पिता की सहखातेदारी भूमि है। जमाबंदी संवत 2020-2023 में नामान्तरण संख्या 215 से शकूर का विरासत का नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादी के पिता/पति का नाम हबास पुत्र शकुर दर्ज किया था जो कि आंदिनाक तक जारी है। जबकि विभिन्न सरकारी दस्तावेज में वादी के पिता/पति का सही नाम अब्बास अहमद पुत्र शकूर है। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात, जवाबदावा आदि का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण ग्राम जैतारण में स्थित प्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय अब्बास अहमद पुत्र शकुर निवासी जैतारण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 207 रकबा 2.8814 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल है। जिसमे प्रार्थीगण के पति व पिता के सही नाम अब्बास अहमद पुत्र शकुर के स्थान पर चौसाला जमाबंदी बनाते समय सहवन से मानवीय त्रुटिवश हबास पुत्र शकुर दर्ज कर दिया जिसे शुद्ध कर सही एवं वास्तविक नाम अब्बास अहमद पुत्र शकुर दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:43:51 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 207 रकबा 2.8814 हैक्टर में वादीगण के पिता सहखातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2020-2023 में नामान्तरणकरण संख्या 215 से

उपखण्ड अधिकारी एवं
भू अभिलेख अधिकारी

...र का विरासत का नामान्तरणकरण दर्ज करते वक्त वादीगण के पिता/पति का हबास ... शकुर दर्ज किया जो कि आदिनांक तक जारी है। जबकि विभिन्न सरकारी दस्तावेज वादीगण के पिता/पति का सही नाम अब्बास अहमद पुत्र शकुर है।

नगरपालिका जैतारण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व विभाग द्वारा राहत श्रमिको ... लिए जारी परिवार परिचय पत्र, नगरपालिका जैतारण द्वारा जारी परिवार कार्ड एवं ...टे बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, पाली द्वारा जारी मियादी जमा रसीद में अब्बास ...हमद तथा अब्बास अहमद पुत्र शकुर दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पर अपने ...ता/पति का सही एवं वास्तविक नाम हबास के स्थान पर अब्बास अहमद होना प्रकट ...या है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् तथा प्रार्थीगण के शपथ पत्र के आधार पर यह ...ष्ट है कि ग्राम जैतारण की वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज हबास पुत्र ...कुर तथा अब्बास अहमद पुत्र शकुर वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा सही एवं वास्तविक ...ाम अब्बास अहमद पुत्र शकुर है। अतः भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपुर्ण प्रविष्टी हबास ...त्र शकुर को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टी अब्बास ...हमद पुत्र शकुर दर्ज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील-जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 207 रकबा 2.8814 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के भू अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***"हबास पुत्र सकुर"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"अब्बास अहमद पुत्र शकुर"*** दर्ज करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)